118

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ऐट भोपाल म0प्र0।

निगरानी प्र0क्रं0 ....../17–18

निगरानी - 2647/2018/भोपाल/भू.रा.

EW-4(3)

मो0 हसीन खॉ आत्मज श्री सईद खॉ
आयु 50 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
खितवांस तहसील बैरसिया जिला भोपाल
म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1:– रामचरण आत्मज पूरन आयु 50 वर्ष
ग्राम कोटवार।
2:– गीताबाई पत्नि रामचरण आयु 45 वर्ष
निवासी ग्राम खितवांस तहसील बैरसिया जिला
भोपाल म0प्र0 ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता

श्रीमानजी,

आवेदक/निगरानीकर्ता, राजस्व प्रकरण कमांक 46/अ12/2017–2018 ग्राम खितवांस तहसील बैरसिया जिला भोपाल में, पटवारी हल्का नबंर 28 तथा राजस्व निरीक्षक में, वैष्ठित सीमाकंन की शक्तियों/अधिकारिता के प्रयोग में अविधिपूर्ण एवं सारवान अनियमितता करते हुऐ, अनावेदक गण से मिलीभगत पूर्ण रूप से व सर्वथा अनाधिकृत व अवैधानिक रीति से व वास्तविक स्थिति के विपरीत सीमाकंन स्थल पर बनाये गये पंचनामे में आवेदक की – भूमि खसरा कमांक 7/1/1क क्षेत्रफल 2.023 हे0 पर अनावेदक गण का कब्जा होना पाया गया वाली लिखावट अंकित कर दी है। जो अपास्त करणीय है/अतः उक्त सीमाकंन कार्यवाही में दिनांक 24/3/2018 को बनाये गये पंचनामा अविधि पूर्ण होने से अपास्त

.....2....

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2647/2018/भोपाल/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-5-19	आवेदक अधिवक्ता श्री उमेश भार्गव एवं अनावेदक अधि0 श्री धीरेन्द्र मिश्रा उपस्थित । 2/ प्रकरण में उभयपक्षों को सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्होंने तहसील में समयसीमा में आवेदन दिया था लेकिनउनकासीमांकन आवेदन बिना सीमांकन किए अमान्य कर दिया गया है । तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलाकन से स्पष्ट है कि सीमावर्ती कृषकों की धमकी के कारण सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है । तहसीलदार का यह कृत्य किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है सीमांकन कराने का कृषक का अधिकार है । अनुविभागीय अधिकारी ने निर्देशी भी दिए हुए हैं कि पुलिस की उपस्थिती में सीमांकन की कार्यवाही कराई जाये । उसके बाद भी सीमांकन की कार्यवाही बंद करना उचित नहीं है । इस संबंध में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर कलेक्टर, भोपाल विचार करें तथा कलेक्टर सुनिश्चित करें कि समयसीमा में नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही संपन्न की जाये । उक्त आदेश की प्रति कलेक्टर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये । उक्त निर्देश् के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । अध्यक्ष	